

मान्यता कोड संख्या-अप्रैंजी अस्थाई नर्सरी व जूनियर -2

प्रेषक,

पिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बुलन्दशहर।  
सेवा में,

प्रदर्शक,  
सन वर्ड इंटर नेशनल स्कूल,  
नरसीना ब्लॉक ऊचागाँव बुलन्दशहर  
जनपद बुलन्दशहर।

पत्रांकप्रम्प/मान्यता/ 248-50

/2018-19

दिनांक- 10-4-18

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/नहोदय,

आपके तारीख 30.08.2017 के आवेदन और इस रामदण्ड में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से में सन वर्ड इंटर नेशनल स्कूल, नरसीना ब्लॉक ऊचागाँव बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर को तारीख 01.04.2018 से तारीख 31.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 05.04.2018 के प्रस्ताव संख्या ..... में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं-

1. मान्यता की मंजूरी दिस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई दावेता नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांचं 1) और निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांचं 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या 25 तक आस-पड़ोर के कमज़ोर बार्स और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पेरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रति-पूरित किया जाएगा। ऐसी प्रति पूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृष्ठक बैंक खाता रखेगा।
5. चोसाइटी/विद्यालय किसी कैफिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्फोटेनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सवूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिर्दिष्ट करेगा :-

क- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

ख- किसी भी बालक का शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

ग- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी भी बालक से कोई योर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

घ- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाधित किए गए अनुसार एक प्रगाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

द- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

छ- अद्यापकों की नवी अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकाधित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यालय अद्यापक, जिन के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

ज- अद्यापक के अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

झ- अद्यापक इयां को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलाओं में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुक्षित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधित पादयार्थों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

S. Kumar  
Principal  
Sun World International School  
Narsena, Bulandshar, U.P

53

Areef  
Manager  
Sun World International School  
Narsena, Bulandshar, U.P

- म निरीक्षण के
3. विद्यालय अर्थात् न की धारा 10 में यन्मानिपिद्वि विद्यालय के गवर्नरों और राजियों को बताय रखेगा।
- समय रिपोर्ट का अई प्रश्नपूछाएं निम्नानुसार हैं—
- |   |                |
|---|----------------|
| विद्यालय परिसर का शेकल                                      | 4717 दर्ता मी० |
| बूल गिरेत देव   | 840 दर्ता मी०  |
| बीड़ा-खेल दर्ता फैकल  | 2959 दर्ता मी० |
| संसारों ती संचाल  | 10             |
| प्राच्यालय-सह-कार्यालय-सह-भांडागार दे लिए कदम               | 5              |
| वालक और वालिकाओं के लिए पृथक शौचालय                         | उपलब्ध है।     |
| पेकजल तुषिया  | उपलब्ध है।     |
| दधा रहित पहुंच  | उपलब्ध है।     |
| विद्यालय पठन लगड़ी/बीड़ा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता |                |
9. विद्यालय के एक सरों के नीतार या उसके दूर विद्यालय के नाम से कोई इंग्रेजी नाम्यता प्राप्त कराएं नहीं चलाई जाएंगी।
- विद्यालय भदनों या अन्य सरदनाओं या बीड़ा-खेल का प्रयोग बोल शिक्षा और कौशल प्राप्ति के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 1000 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत मिरी सोसाइटी द्वारा या तत्समय अनुत्त दिल्ली विवि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल की किसी व्यष्टि व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके हृष्ट प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उन्हें लेना विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवृत्ति मान्यता कोड संख्या-अग्रेजी अस्यार्द्द नंसरी व जूनियर -2 है। कृपया इसे नोट करते और इस कार्यालय के साथ किसी प्रावधार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और सम्बन्धित संस्कार/स्थानीय प्राविकारी द्वारा ऐसे अनुदर्शों का पतन करता है, जो मान्यता विधियों शर्तों के जरूर अनुपालन को सुनिश्चित करने वा विद्यालय के कार्यकरण की कामियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीबल्स के नवीकरण, गोई कोई ही, को सुनिश्चित किया जाए।
17. उपर्युक्त अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. प्रध्येक दर्ता कदम में प्रति छात्र 9 वर्ष फूट का स्थान बैठने हेतु आसार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।
19. विद्यालय में शिक्षक/शिक्षिकर्ता कर्मदारियों द्वारा नियुक्त नहीं की जिश्वावली में नियारित की गयी जरूरत के अनुसार की जाये।
20. मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर मान दिया जायेगा जिस विद्यालय को स्थानीय मान्यता प्राप्त हो गयी है।

गवर्दीप  
१०.५.१९

(अजीत सुसार)

जिला विधिक शिक्षा अधिकारी

बुलन्दशहर।

तात्पर्यांक-

दृष्टिकोण/मान्यता/

/2018-19

प्रतिक्रिया-

1. राधायक शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल मेरठ।

2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड/नगर देव.

3. कार्यालय प्रति।

जिला विधिक शिक्षा अधिकारी  
बुलन्दशहर।

S. Kumar  
Principal  
Sun World International School  
Narsena, Bulandshar, U.P.

54

Amit  
Manager  
Sun World International School  
Narsena, Bulandshar, U.P.